

राजस्थान सरकार  
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग  
(पंचायती राज विभाग)

क्रमांक:एफ 28(1)पंरावि/प्रशा.2/पंचा.प्र.अ./से.नि./2016/1377 जयपुर,दिनांक: 30/03/16

:: आदेश ::

विकास अधिकारी, पंचायत समिति अरनोद, जिला प्रतापगढ द्वारा अपने आदेश क्रमांक 109215 दिनांक 29.02.2016 द्वारा श्री नरेन्द्र कुमार जोशी, पंचायत प्रसार अधिकारी, पंचायत समिति अरनोद, जिला प्रतापगढ की दिनांक 29.02.2016 को 60 वर्ष की अधिवार्षिकी आयु पूर्ण करने पर जारी किये गये सेवानिवृति आदेश की पुष्टि की जाती है।

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि श्री नरेन्द्र कुमार जोशी, पंचायत प्रसार अधिकारी के विरुद्ध:-

- (1) राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम,1958 के नियम-16 के अधीन कोई विभागीय जाँच विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
- (2) राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम,1958 के अधीन कोई विशेष प्रक्रिया की कार्यवाही विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
- (3) कोई न्यायिक कार्यवाही विचाराधीन/लम्बित नहीं है।

यह सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(राजेन्द्र शंखर मक्कड)  
अतिरिक्त आयुक्त

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित है :-

1. निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. अति. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद प्रतापगढ।
3. विकास अधिकारी, पं.स. अरनोद (प्रतापगढ)
4. श्री नरेन्द्र कुमार जोशी, से.नि. पंचायत प्रसार अधिकारी, पंचायत समिति अरनोद, जिला प्रतापगढ मार्फत विकास अधिकारी, पं.स. अरनोद (प्रतापगढ)
5. ए.सी.पी. मुख्यालय को विभागीय वेबसाईड पर अपलोड कराने हेतु।
6. आदेश / रक्षित पत्रावली

अतिरिक्त आयुक्त